पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील प्रतिवादी ने दस्तावेज पेश किये। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही आइन्दा दिनांक 8/5/25 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने अपने मौखिक कथन में जाहिर किया कि दावा बंटवारे का है अतः दावा डायरिक्ट डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादी ने मौखिक कथन कर जाहिर किया कि उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का पूर्व में आपसी सहमति से उभयपक्षों के मध्य, उप तहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर न्यायालय के यहां बंटवारा हो चुका है। यदि उक्त बंटवारे से पक्षकारान सहमत नहीं होते है तो अपीलीय न्यायालय में अपील करनी चाहिए थी, परन्तु अपील नहीं करते हुए पुनः केवल एक खसरा नंबर 1199/1051/0.12 हे० वाके ग्राम मायपेरी कलां तहसील शाहपुरा की कृषि के विभाजन हेतु दावा पेश किया है, उक्त खसरा नंबर पूर्व में आपसी सहमति से रास्ते हेतु सामलाती छोड़ा गया है। अतः दावा पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रकरण में पक्षकारान के मध्य पूर्व में न्यायालय उपतहसील मनोहरपुर के द्वारा दिनांक 25/9/2020 आपसी सहमति से बंटवारा किया गया है एवं आ० ख० नं० 1199/1051 रकबा 0.12 हे० सामलाती रास्ते हेतु छोड़ा गया है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड